समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला विकास शाखा)
-:आदेशः-

मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2013-13 में नगर परिषद्, मधेपुरा क्षेत्र अन्तर्गत नाला/पार्क मद के लिए दिनांक-24.09.2014 को आयोजित जिला स्तरीय संचालन समिति, मधेपुरा द्वारा चयनित योजनाओं में से निम्नलिखित योजनाओं का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के द्वारा तकनीकी स्वीकृत्योपरांत समर्पित किया गया है। सभी प्राक्कलन दिनांक-25.11.2013 को आयोजित विशेष बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में आवश्यक संशोधनोपरांत तैयार किया गया है। जिसपर तीन सदस्यीय तकनीकी जॉंच दल का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3458, दिनांक-21.06. 2011 में निहित निदेश के आलोक में हर परियोजना के लिए लागत का चार प्रतिशत (4%) ही सेवा शुल्क (Centage Charge) दिया जाना है। जबकि सभी प्राक्कलन में सेवा शुल्क पॉंच प्रतिशत (5%) दिया गया है।

अतः मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए नीचे वर्णित योजनाओं के लिए समर्पित प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति के आधार पर सेवा शुल्क को परियोजना लागत का चार प्रतिशत (4%) पर ही सीमित करते हुए निम्न विवरणी कॉलम-05 के अनुरूप अलग-अलग प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। साथ ही सभी योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया जाता है। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्न विवरणी कॉलम-06 अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति का 60 प्रतिशत राशि यथा कुल राशि रू0 27,82,140/- (सत्ताईस लाख बेरासी हजार एक सौ चालीस रू0) मात्र एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से विमुक्त किया जाता है।

यो0 सं0/ वर्ष	मद	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रू0में)	विमुक्त रशि (प्रशानिक स्वीकृति का 60 प्रतिशत)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	02	03	04	05	06	07
01/ 13-14	नाला	पूर्णियॉं गोला से जयपालपट्टी पथ का 1000 फीट निर्माण	14,60,500/-	14,46,700/-	8,68,020/-	तीन माह
02/ 13-14	नाला	सब्जी मंडी से मछली मंडी तक 1000 फीट पथ निर्माण	10,60,400/-	10,55,300/-	6,33,180/-	तीन माह
03/ 13-14	पार्क	चिल्ड्रेन पार्क (अतिथि भवन के सामने वाला) का जीर्णोद्धार	4,62,500/-	04,58,200/-	2,74,920/-	तीन माह
04/ 13-14	पार्क	टी0 पी0 कॉलेज के पास पार्क निर्माण	16,92,500/-	16,76,700/-	10,06,020/-	तीन माह

योजना कार्यान्वयन की शर्तेः

01. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की मार्गदर्शिका एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार उक्त सभी योजना का कार्यानवयन प्राक्कलन में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंदर पुरा करना होगा।

02. निर्माण प्रकृति की इस योजना का कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता (पी0डब्लू0डी0 कोड) के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। योजना के तहत सामग्रियों/सेवा के क्रय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा। कार्यकारी एजेंसी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब निविदा प्रकाशन, निविदा निष्पादन, एकरारनामा कर निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

03. इन योजनाओं के अन्तर्गत बनायी जानेवाली योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।

04. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी योजना का प्राक्कलन एवं प्राक्कलन की संक्षिप्त विवरणी एक पृष्ट में मुद्रित कराकर कार्यस्थल पर रखना सुनिश्चित करेंगे। इसमें योजना का नाम, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि, योजना पुर्ण करने की तिथि, योजना में लगने वाला श्रम एवं सामग्री की मात्रा/लागत अंकित रहना चाहिए।

05. योजना प्रारंभ करने से पहले, निर्माण के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफी/विडियोग्राफी निश्चित रूप से कराई जाय एवं फोटोग्राफी की एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय एवं उसकी एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधेपुरा को भी भेजी जाए।

06. योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।

07. योजना में स्थानीय मजदूर से ही कार्य कराया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान निश्चित रूप से हो तथा भुगतान की गई मजदुरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।

08. कार्य करने के पूर्व कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विगत पॉच वर्षो में इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है। साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन नहीं है।

09. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

10. योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड, जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या/वर्ष, प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम, कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर एवं योजना पूर्ण कराने की तारीख स्पष्ट रुप से अंकित रहेगा।

11. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा उक्त सभी योजना का User Agency होंगे, जो इस आशय का अंडर टेकिंग देंगे कि "योजना के रख-रखाव आदि पर भविष्य में होने वाले सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था करेंगे"। कार्यकारी एजेंसी योजना पूर्ण होने पर इसे विधिवत् User Agency को हस्तगत करायेंगे।

12. जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा के पदनाम से रू0 27,82,140/- (सत्ताईस लाख बेरासी हजार एक सौ चालीस रू0) मात्र एकाउन्ट पेयी चेक उल्लिखित मद में उपलब्ध राशि से तैयार कर उन्हें हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधियों को दी जाए।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 65/वि0, मधेपुरा, दिनांक 12/02/2014

प्रतिलिपिः- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की एक-एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियंता, बूडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

12/02/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।